संचिका सं0– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]" के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे पथ जिनकी निरुपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरुपण अवधि के पूर्व ही निरुपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है, के अतिरिक्त पथ के अधिक जनोपयोगी होने अथवा किसी ढ़ाँचागत विकास/संस्थान के विकसित होने की स्थिति में से अत्यंत क्षतिग्रस्त/क्षतिग्रस्त लगभग 10000 कि0मी0 पथ के पुनर्निर्माण / उन्नयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4995 दिनांक 22.09.2023 से "**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना**" लागू है।

यह पाया गया है कि कुछ ऐसे पथ हैं जिनके निरुपित अवधि अथवा निरुपित यातायात प्राप्त नहीं होने पर भी उनके नवीनीकरण/ पुनर्निर्माण/उन्नयन की आवश्यकता है, क्योंकि साधारण मरम्मति से इन पथों को यातायात के लायक नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण / Defect Liability अवधि से सतत् रुप से बाहर ऐसे क्षतिग्रस्त ग्रामीण पथों में से उपलब्ध बजट/ Bank of Sanction (BOS) अन्तर्गत विभाग द्वारा चयनित पथों के प्रारंभिक सुधारोपरान्त नवीनीकरण/ उन्नयन /पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। पथों का प्राक्कलन उनकी वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापनोपरान्त आवश्यकता के अनुसार बनाया जायेगा।

उपरोक्त के कारण ग्रामीण पथों के रुप में सृजित परिसम्पतियों को क्षरण से बचाये रखने के उद्देश्य से सीमित (लगभग 10,000 कि0मी0 मात्र) रुप से लागू वर्णित "**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना**" के मूल संकल्प में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है।

तदनुसार मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.09.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या– 43 के रुप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में संकल्प संख्या– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023– 4995 दिनांक 22.09.2023 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:–

1. कंडिका–1 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए वैसे पथ जिनकी निरुपण अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा निरुपण अवधि के पूर्व ही निरुपित यातायात को प्राप्त कर लिया गया है, के अतिरिक्त पथ के अधिक जनोपयोगी होने अथवा किसी ढ़ाँचागत विकास/संस्थान के विकसित होने की स्थिति में से अत्यंत क्षतिग्रस्त/क्षतिग्रस्त लगभग 10000 कि0मी0 पथ के पुनर्निर्माण / उन्नयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4995 दिनांक 22.09.2023 से "**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना**" लागू है।

यह पाया गया है कि कुछ ऐसे पथ हैं जिनके निरुपित अवधि अथवा निरुपित यातायात प्राप्त नहीं होने पर भी उनके नवीनीकरण/ पुनर्निर्माण /उन्नयन की आवश्यकता है, क्योंकि साधारण मरम्मति से इन पथों को यातायात के लायक नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण / Defect Liability अवधि से सतत् रुप से बाहर ऐसे क्षतिग्रस्त ग्रामीण पथों में से उपलब्ध बजट/ Bank of Sanction (BOS) अन्तर्गत विभाग द्वारा चयनित पथों के प्रारंभिक सुधारोपरान्त नवीनीकरण/ उन्नयन /पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

पथों का प्राक्कलन उनकी वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापनोपरान्त आवश्यकतानुसार बनाया जायेगा।

2. कंडिका–2 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
योजना के लिये व्यय बजट मुख्य शीर्ष 4515 अन्तर्गत विपत्र कोड–37–4515001030121 /4515007890107/ 4515007960110 के तहत् प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जा सकेगा।

3. कंडिका–4 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
विभाग द्वारा योजनाओं के चयन हेतु सड़कों के वर्गीकरण का वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारित किया जायेगा एवं तदनुसार ही वर्गीकरण एवं स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

4. कंडिका–10 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
इस योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए त्रिस्तरीय जाँच की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी विशेषज्ञ एवं राज्य में अवस्थित विभागीय क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा सकेगा। त्रिस्तरीय नियमित जाँच की व्यवस्था निम्नवत् होगी:–

(i) प्रथम स्तर पर कार्य प्रमण्डल/कार्य अंचल/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण एवं तदोपरान्त सतत् अनुरक्षित रखने हेतु समय–समय पर निर्धारित जाँच की जायेगी।

(ii) द्वितीय स्तर पर कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित 108 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा योजनाओं की जाँच की जायेगी। कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को और भी सुदृढ़ किया जायेगा।

(iii) तृतीय स्तर पर कार्य अंचल स्तर पर सृजित कुल 22 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं एवं मुख्य अभियंता स्तर पर सृजित कुल 06 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को और भी सुदृढ़ करते हुए योजनाओं की जाँच करायी जायेगी।

(iv) मुख्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल एवं वरीय पदाधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार जाँच करायी जा सकेगी।

5. कंडिका–17 एवं 18 **को विलोपित किया जाता है।**

6. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सभी ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के लिए निर्गत विभागीय संकल्प–सह– पठित ज्ञापांक–मु0अ0–4–(मु0) विविध कार्य– 06–101/2023 –4995, पटना/ दिनांक 22.09.2023 को उपरोक्त संशोधनों के साथ इस हद तक संशोधित समझा जाएगा एवं पूर्व से निर्गत मूल संकल्प के शेष महत्वपूर्ण निर्णय/नियम/सिद्धांत से संबंधित कंडिकाऐं– 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 एवं 20 यथावत लागू रहेंगी।

7. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सभी ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY)" के लिये निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023–4995 दिनांक 22.09.2023 में अंकित प्रावधानों को इस इस हद तक संशोधित समझा जाय।

<u>नोटः–</u> उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में "**ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण /उन्नयन/नवीनीकरण हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)]" के प्रावधानों में संशोधन** प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.09.2024 की बैठक में मद संख्या–34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/9/2024

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः— मु0अ0—4(मु0)विविध कार्य—06—101 / 2023-1259 / पटना, दिनांकः—13-09-2024

प्रतिलिपि :— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः— मु0अ0—4(मु0)विविध कार्य—06—101 / 2023-1259 / पटना, दिनांकः—13-09-2024

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः— मु0अ0—4(मु0)विविध कार्य—06—101 / 2023-1259 / पटना, दिनांकः—13-09-2024

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई— गजट प्रशाखा), पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1259/पटना, दिनांक–13-09-2024

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, अभिलेखागार, बेली रोड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1259/पटना, दिनांक–13-09-2024

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह– विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी– सह–सचिव, बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1259/पटना, दिनांक–13-09-2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101/2023-1259/पटना, दिनांक–13-09-2024

प्रतिलिपि :– आई0 टी मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/9/2024

अपर मुख्य सचिव